Credit contract with Italy

72. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a Rs. 325 crore credit contract has recently been signed by the Government of India with Italy;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what are the terms of the credit; and

(d) what is the purpose for which the contract has been signed?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) A Memorandum of Understanding for a credit of US dollar 250 million (Rs. 325 crores approx.) for the energy sector has been signed between the Government of India and Government of Italy on 9-1-88.

(b) and (c) The Credit is repayable over 20 years including grace period of 10 years and carries an interest rate of 1.5 per cent p.a. repayable half-yearly. The credit may be used either independently or alongwith export credit and outright grant. The ratio of the above credit and export credit shall be in the minimum proportion of 60:40 respectively. Export credit is repayable over 10 years and carries an interest at OECD consensus rate.

(d) The credit is to be used for financing import of equipment and engineering services of Italian origin for projects in the energy sector.

Seizure of heroin by the Delhi Police

73. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the press report which appeared in the "Times of India" dated 15th January, 1988 to the effect that Delhi Police seized 11 kgs. of heroin which is worth Rs. 11 crores in the US Market;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether any arrests have been made in this connection; and

(d) what action Government have taken against the culprits?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) On 14th January, 1988 two persons riding a two-wheeler scooter were intercepted on Mathura Road and 5 kgs. of heroin was recovered from their possession. On the same day, 6 kgs. of heroin was recovered from one person near the Defence Colony flyover.

Cases under various sections of law have been registered and all three of them have been arrested. They are under judicial custody.

हिन्दी भाषा का प्रसार

74. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री राम चन्द्र विकल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "क" और "ख" क्षेत्रों में राजभाषा अधिनियम की पूर्णतः अवहेलना करते हुए रोमन लिपि के कम्प्यूटरों, टेलेक्स मशीनों और टेलीप्रिंटरों जैसे दर्जनों आधुनिक यंत्रों के आगमन और अबाधित प्रयोग के फलस्वरूप हिन्दी के प्रसार का कार्य वर्षों पीछे पड़ गया है और जहां भी टेलेक्स मशीनें लगाई गई हैं वहां से एक भी तार में हिंदी नहीं भेजा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "क" क्षेत्रों में अंग्रेजी के टंकण यंत्रों आदि की तुलना में देव नागरी के टंकण यंत्रों, टंककों और आशुलिपिकों की संख्या नहीं के बराबर है, जबकि उनकी संख्या 50:50 होनी चाहिये थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और हिंदी भाषा के प्रसार के लिये क्या नये कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रेड्डं० आर०अंसारी) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके अंतगत बने नियमों के अनुपालन के लिये उठाए गए कदमों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए) ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुपालन के लिये उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

तार हिंदी में भेजे जा रहे हैं । हिंदी के 83 टाइपराइटर हैं और 16 द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर हैं । मंत्रालय और "क" क्षेत्र में स्थित इसके सम्बद्ध कार्यालयों में हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित 23 आशुलिपिक और हिंदी टाइपराइटिंग में प्रशिक्षण 63 अवर श्रेणी लिपिक उपलब्ध हैं । टाईपिस्टों और आशुलिपिकों को समय-बद्ध योजना के अनुसार हिंदी टाइपिंग और आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिये भेजा जा रहा है । "क" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि नये खरीदे जाने वाले टाइपराइटरों के कम से कम 50 प्रतिशत देवनागरी के होने चाहिये । सभी संबंधितों को यह भी अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि राजभाषा अधिनियम और इसके अधीन नियमों का सख्ती से पालन किया जाये ।

राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन

75. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री राम चन्द्र विकल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिये कभी कोई प्रयास किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और हिंदी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया हैं ;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिंदी अनुभाग की फाइलों को छोड़कर ऐसी फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में, अर्थात् हिंदी में काम किया जा रहा है ;

(ग) मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम काम कर रहे हैं और प्रत्येक उपक्रम में राजभाषा से संबंधित कार्य के बारे में स्थिति क्या है ; और

(घ) मंत्रालय में हिंदी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्सो, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) मन्त्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिये राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों तथा वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी कार्य का मूल्यांकन, मंत्रालय के सभी अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिये किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में स्थिति की समीक्षा मंत्रालय में समय-समय पर होने वाली राजभाषा कार्यान्यन समिति और हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों के जरिये भी की जाती है । मंत्रालय हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिये राजभाषा अधिनियम के साथ-साथ वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये बराबर प्रयास कर रहा है ताकि लक्ष्य पूरे किये जा सकें । इसके अतिरिक्त, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त कदम उठाये गये हैं :

(1) मंत्रालय में सभी स्तरों पर केवल हिंदी में अपना कार्य करने के लिये तीन अनुभागों अर्थात् रोकड़—1, रोकड़—2 और स्थापना—4 को अभिज्ञात किया गया है ।

(2) मंत्रालय के अधिकांश अनुभागों ने अपना सभी कार्य केवल हिंदी में करने के लिये न्यूनतम पांच फाइलें अभिज्ञात की हैं ।